



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

एन.आई.एफ.टी अधिनियम 2006 द्वारा शासित और वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित
(डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी का एक प्रीमियर संस्थान)
शैक्षणिक मामले विभाग

9327(2)/AA/NIFT-RB/Govt. Scholarship (Central Sector)/2022

दिनांक : 02.08.2022

परिपत्र / CIRCULAR

सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र " राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल" पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रवृत्ति के अधिक विवरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट <https://scholarships.gov.in/> पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में छात्रवृत्ति के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में, छात्र- छात्राएं शैक्षणिक मामलों के विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।

All the students are hereby informed that the online Scholarship Application Forms are invited by the different Ministries of Govt. of India on "National Scholarship Portal" for the financial year 2022-23. For the details/guidelines, the students are advised to visit the official website <https://scholarships.gov.in/>. In this regard, in case of any difficulty the students may contact to the Academic Affairs Department, NIFT Raebareli.

पोर्टल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.10.2022 है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह इस संबंध में पोर्टल पर नवीनतम अधिसूचना देखें। सभी पात्र छात्रों (नए और नवीनीकरण) को समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म का प्रिंटआउट अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले अकादमिक मामलों के विभाग को जमा करना होगा, उसके बाद किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

As per portal last date for submission of online application is 31.10.2022. Students are advised to refer the latest notification at the portal in this regard. All eligible students (Fresh and Renewal) must submit the printout of duly filled online Scholarship form along with all requisite documents to Academic Affairs Department before one week from the last date after that no application form will be entertained.

नोट:- छात्रवृत्ति नियमावली में दिए गए प्राविधानों के तहत छात्र का आवेदन एक ही छात्रवृत्ति हेतु संस्था द्वारा अग्रसारित किया जायेगा। अतः छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति हेतु एक ही विभाग में आवेदन करें।

(नन्दन सिंह बोरा)

संयुक्त निदेशक और सी०ओ०ई०

प्रतिलिपि / Copy to:

1. निदेशक, को सूचनार्थ / The Director – for kind information please
2. सी०ए०सी०, को सूचनार्थ /The CAC - for kind information please
3. एस०डी०ए०सी, छात्रों के बीच व्यापक प्रचार के लिए / The SDAC-for wide publicity among the students.